डी. एम. नागराजा

बनाम

कर्नाटक राज्य व अन्य।

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 1814)

19 सितंबर 2011

(पी. सताशिवम और डॉ. बी. एस. चौहान जे. जे.)

कर्नाटक में अधिनियम 1985 अवैध शराब तस्करों, नशीली दवाओं के अपराधियों, जुआरियों, गुंडों, अनैतिक यातायात अपराधियों और झुग्गी-झोपड़ियों पर कब्ज़ा करने वालों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम।

धारा 3. निरोध का आदेश.उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया-निर्धारितः

निरोध आदेश 11 मामलों में निरोधक की गतिविधियों और संलिप्तता को संदर्भित करता है.. यह निरोधप्राधिकरण का व्यक्तिपरक संतोष कि निरोधक की निरंतर खतरा पैदा करना व सार्वजनिक व्यवस्था नही बनाए रखना की गतिविधियों के बावजूद उसे एक के बाद जमानत मिल रही थी। एक और और एक ही गतिविधियों में शामिल होना तथ्यात्मक विवरणों के माध्यम से निरोध के आधार में भिन्न भिन्न सामग्री निरोधक की भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों को आकर्षित करना और आदतन दोहराना और

यह भी कि सभी प्रक्रियाएं और वैधानिक सुरक्षा उपाय पूरी तरह से किए गए हैं।अदालत निरोध प्राधिकरण के तर्क व सरकार द्वारा अनुमोदित तथा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट आदेश से सहमत है-निवारक निरोध।

धारा 3. सपठित अनुच्छेद 22(5) भारत का संविधान-निरोध आदेश-प्रतिनिधित्व का निपटारा-समय सीमा-अभिनिर्धारितः निरोध के आदेश की पुष्टि करने से पहले अनुच्छेद 22(5) के तहत कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है कि प्रतिनिधित्व की जांच हो-सक्षम प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि के पश्चात प्रतिनिधित्व पर विचार कर सकता है। हालांकि इस संबंध में बंदी की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी- भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 22(5) निवारक निरोध-उद्देश्य-व्याख्या।

बंदी द्वारा दायर मौजूदा अपील में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह थाः क्या हिरासत प्राधिकरण हिरासत आदेश दिनांकित 22.09.2010 पारित करने में उचित था तथा उक्त आदेश की पुष्टि करना और दायर रिट याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय सही था१

अपील खारिज की गई न्यायालय द्वारा-

अभिनिर्धारितः 1.1 निवारक निरोध का आवश्यक तत्व बंदी द्वारा किये गये कृत्य की सजा नही देकर उसे ऐसा करने से रोकना है। (पैरा 7) (466-सी)

हरधन साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्यः 1975 (1) एस. सी. आर. 778 = (1975) 3 एस. सी. सी. 198-पर आधारित।

1.2 बूटलेगर्स, ड्रग-अपराधियों की खतरनाक गतिविधिया, जुआरी, गुंडा, अनैतिक व्यापार अपराधी और स्लम ग्रेबर्स-कर्नाटक की रोकथाम अधिनियम 1985 की धारा 3 राज्य सरकार को कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए, उन्हें किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए कार्य करने से रोकने के लिए अधिकार देता है। राज्य सरकार या निरोधक प्राधिकरण की संतुष्टि कि कोई व्यक्ति अगर भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध कारित करता है या प्रयास करता है या सहायता करता है तो उसे उक्त अधिनियम के संदर्भ में हिरासत में लिया जा सकता है। (पैरा 6), (464.सी.डी; 466-बी)

1.3 मौजूदा मामले में निरोध आदेश, अपीलार्थी की 11 मामलों में हिरासत में लिया जाना और संलिप्तता संदर्भित करता है। यह विवादित नही है कि एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है और नौ वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई है। दो मामलों में उसे बरी कर दिया गया और उसके खिलाफ चार मामले लंबित हैं जिनमें उसे अदालत ने जमानत दे दी है। उनके खिलाफ दर्ज मामले हत्या, हत्या का प्रयास डकैती, दंगे, हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, जनता को उकसाना, भूमि विवादों को निपटाते समय जबरन वसूली, अवैध कब्जा हथियार आदि है। हालाँकि उसे

9 साल के लिए कठोर कारावास सजा सुनाई गई किन्तु उसकी आपराधिक गतिविधिया नही रुकी। वास्तव में वर्ष 1981 से 2010 तक उसके द्वारा व्यवस्थित रूप से आपराधिक गतिविधियां कारित की गई है। अभिलेखों और निरोध आदेश तथा सभी विवरणों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी-बंदी ने आपराधिक क्षेत्र में अपना करियर तब शुरू किया था जब वह 30 वर्ष का था और अब लगभग 60 वर्ष का हो गया है और उसके लगभग 28 सहयोगी उसकी आपराधिक गतिविधियों में उसकी सहायता कर रहे हैं और उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं। बंदी का मानव जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं है। (पैरा 10 11 और 14), (467-एच 4727 ई 470-जीएफ)

1.4 सभी विवरण जो निरोध आदेश में सही व स्पष्ट ढंग से बताए गए हैं यह दर्शित करता है कि अपीलार्थी कानून के सामान्य अनुक्रम के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह भी दर्शाता है कि विभिन्न अवसरों पर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद भी वह फिर से उसी प्रकार के अपराधों में लिप्त रहा है, विशेष रूप से सार्वजनिक जीवन को खतरे में डालना व सार्वजनिक संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाना। इन सभी पहलुओं का निरोध प्राधिकरण द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया और यह पता लगाने के बाद कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्योंकि अपीलार्थी की गतिविधियाँ जनता के लिए प्रतिकूल हैं जिससे नुकसान और खतरा है, निरोध प्राधिकरण द्वारा उसे बारह माह की अवधि हेतु 'गुंडा के रूप में

कर्नाटक अधिनियम संख्या 12 के तहत हिरासत में लिया गया तथा सलाहकार बोर्ड और राज्य द्वारा आदेश को सही ढंग से अनुमोदित किया गया। निरोध प्राधिकरण का व्यक्तिपरक संतोष कि निरोधक की निरंतर खतरा पैदा करना व सार्वजनिक व्यवस्था नही बनाए रखना की गतिविधियों के बावजूद उसे एक के बाद जमानत मिल रही थी। उपर्युक्त परिस्थितियों मे निरोधक प्राधिकरण द्वारा यह मानते हुए कि आपराधिक गतिविधियों को जारी रखने में अपीलार्थी की आदत को सामान्य प्रक्रिया से नियंत्रित करना संभव नहीं होगा, अपीलार्थी को हिरासत में लेने का आदेश पारित किया। चूंकि निरोध प्राधिकरण द्वारा सभी प्रासंगिक सामग्री और अधिनियम में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपाय का सख्ती से पालन किया गया है, यह न्यायालय, निरोधक प्राधिकरण का आदेश जिसे उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्ट किया गया है, कि पुष्टि करता है। पैरा 12, (470.एच 471.ए-डी),

रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011) 5 एससीसी 244

2. प्रतिनिधित्व के निस्तारण में हुई देरी के संबंध में नजरबंदी का आदेश दिनांक 22.9.2010 को पुलिस कमिश्नर द्वारा पारित किया गया था। उक्त आदेश को दिनांक 30.9.2010 को राज्य सरकार द्वारा पुष्ट किया जाकर मामले को सलाहकार बोर्ड को दिनांक 08.10.2010 को भेजा गया। राज्य सरकार द्वारा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 10.11.2011 को प्राप्त हुई। दिनांक 16.11.2010 को सरकार द्वारा निरोध पुष्टिकरण आदेश जारी किया

गया। बंदी द्वारा केंद्रीय जेल के माध्यम से दिनांक 06.10.2010 को प्रतिनिधित्व भेजा गया। निरोध के आदेश की पुष्टि करने से पहले अनुच्छेद 22(5) के तहत कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है कि प्रतिनिधित्व की जांच हो-सक्षम प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि के पश्चात प्रतिनिधित्व पर विचार कर सकता है। हालांकि इस संबंध में बंदी की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी। (पैरा 15) (473-ए.एफ),

के.एम. अब्दुल्ला कुन्ही और बी. एल. अब्दुल खादर बनामभारत संघ और अन्य तथा कर्नाटक राज्य और अन्य। 1991 (1) एससीआर 102 = 1991 1 एस. सी. सी. 476 सी. बी.-

कानून संदर्भः

1975 (1) एससीआर 778 पैरा 7

(2011) 5 एससीसी 244 पैरा 8

1991 (1) एससीआर 102 पैर 15

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संण् 1814/2011।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की बंदी प्रतियक्षीकरण याचिका संख्या 220/2010 के निर्णय दिनांकित 28.03.2011 से ।

सी. बी. गुरुराज, शबरीश सुब्रमण्यम, पुरुषोत्तम शर्मा, त्रिपाठी, नवीन चंद्रशेखर, राज कुमार, अनिल कुमार अपीलार्थी की ओर से।

अनीता शेनॉय उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया।

पी. सथासिवम जे. 1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी ने मौजूदा याचिका 2010 की रिट याचिका संख्या 220 में पारित कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 28.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। याचिका के खिलाफ यह अपील दायर की है जिसमें उच्च न्यायालय ने निरोध के कमिश्नर आफ पुलिस, बैंगलोर सिटी आदेश दिनांकित 22.09.2010 के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

3. संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः-

(अ) निरोधक प्राधिकरण के अनुसार अपीलार्थी-बंदी ने आपराधिक क्षेत्र में अपना करियर तब शुरू किया था जब वह 30 वर्ष का था। वह हत्या, हत्या का प्रयास डकैती, दंगे, हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, जनता को उकसाना, भूमि विवादों को निपटाते समय जबरन वसूली, अवैध कब्जा हथियार आदि के मामलों में लिप्त रहा है।

(ब) निरोधक आदेश दिनांक 22.09.2010 के द्वारा उसके विरूद्ध 11 मामले दर्ज हुए है जिनमें से 4 मामले विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा 4 अन्य मामलों का रिकोर्ड समय बाधित होने के कारण नष्ट किया जा चुका है। दो मामलों मे उसे दोष मुक्त किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा लंबित मामलों मे उसे जमानत स्वीकार की जा चुकी है तथा एक मामले में सेशन न्यायालय बेंगलोर द्वारा उसे 9 साल के लिए कठोर कारावास सजा सुनाई गई है।

निरोधक का आदेश यह भी दर्शित करता है कि अपीलार्थी अपराध करने का आदी है उसके द्वारा सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन करना, जनसामान्य व सम्पति को नुकसान कारित करना उदेश्य रहा है तथा निरोधक प्राधिकरण द्वारा यह मानते हुए कि आपराधिक गतिविधियों को जारी रखने में अपीलार्थी की आदत को सामान्य प्रक्रिया से नियंत्रित करना संभव नहीं होगा, अपीलार्थी को निरोध प्राधिकरण द्वारा बारह माह की अवधि हेतु 'गुंडा' के रूप में धारा 2(जी) कर्नाटक अधिनियम 1985 की संख्या 12 के तहत हिरासत में लिया गया।

(स) अपीलार्थी ने स्वयं निरोध आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट दायर करके को चुनौती दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा एकमात्र तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि उसके प्रतिनिधित्व दिनांकित 06.10.2010 पर सलाहकार

बोर्ड द्वारा अत्यधिक विलम्ब से विचार किया गया है। उक्त तर्क को पोषणीय नही मानते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निरोधक आदेश की वैधता को विस्तार से देखते हुए अपीलार्थी की रिट याचिका दिनांक 28.03.2011 को खारिज की गई।

4. विद्वान वकील श्री सी. बी. गुरुराज अपीलार्थी-बंदी को तथा सुश्री अनीथा शेनाय-विद्वान वकील कर्नाटक राज्य को सुना गया।

5. बंदी द्वारा दायर मौजूदा अपील में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह थाः कि हिरासत प्राधिकरण आदेश दिनांकित 22.09.2010 पारित करने में उचित था तथा उक्त आदेश की पुष्टि करना और दायर रिट याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय सही था?

6) 1985 के कर्नाटक अधिनियम संख्या 12 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है कि कुछ असामाजिक तत्वों जैसे बूटलेगर्स, ड्रग-अपराधी, जुआरी, गुंडे, अनैतिक यातायात अपराधी और झुग्गी-झोपड़ियों पर कब्ज़ा करने वालों की गतिविधियों के कारण समय-समय पर ऐसे व्यक्तियों के कारण जनता में असुरक्षा और भय की भावना पैदा होती है और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जीवन की गति अक्सर बाधित होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव इन ज्ञात असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से प्रतिकूल रूप से

प्रभावित न हो, एक विशेष कानून बनाना आवश्यक माना जाता है। 1985 के कर्नाटक अधिनियम 12 के निम्नलिखित प्रावधान प्रासंगिक है:

"2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए) सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करना का अर्थ है, -

(i).....

(ii).....

(iii).....

(iv) किसी गुंडे के मामले में जब वह गुंडा के रूप में अपनी किसी भी गतिविधि में शामिल होता है, या शामिल होने की तैयारी कर रहा है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है;

(v).....

(vi).....

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ माना जाएगा या अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना समझी जाएगी यदि इस खंड में

निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की कोई भी गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है। आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच कोई नुकसान, खतरा या अलार्म या असुरक्षा की भावना पैदा करना या जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर या व्यापक खतरा पैदा करना।

(बी).....

(सी) हिरासत आदेश का अर्थ धारा 3 के तहत दिया गया आदेश है;

(डी) हिरासत का मतलब हिरासत आदेश के तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति है;

(इ).....

(एफ).....

(जी) 'गुंडा' का अर्थ है वह व्यक्ति जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में, अपराध या अपराध का प्रयास या उकसाना अन्तर्गत अध्याय 8, अध्याय 15, अध्याय 16, अध्याय 17, अध्याय 22 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करता है (1860 का केंद्रीय अधिनियम ग्स्ट)"

धारा 3 राज्य सरकार को कुछ व्यक्तियों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लेने का अधिकार देती है। यदि सरकार/हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी यह संतुष्ट करने में सक्षम है कि कोई व्यक्ति या तो स्वयं

या अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आदतन भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दंडनीय अपराध करता है या प्रयास करता है या ऐसा अपराध करने के लिए उकसाता है तब 1985 के कर्नाटक अधिनियम संख्या 12 की धारा 3 को संतुष्ट करते हुए, उसे उक्त अधिनियम के संदर्भ में हिरासत में लिया जा सकता है।

7) निवारक हिरासत की आवश्यक अवधारणा यह है कि किसी व्यक्ति की हिरासत उसे उसके किसी काम के लिए दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करने से रोकने के लिए है। यहां तक कि, 1975 की शुरुआत में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के मद्देनजर पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं पर विचार किया था। हराधन साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य 1 (1975) 3 एससीसी 198 मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971 के तहत निवारक हिरासत के आदेश पर विचार करते हुए विभिन्न सिद्धांत निर्धारित किए जो इस प्रकार हैं इस प्रकार है-

"....पहला; केवल इसलिए कि किसी बंदी पर आपराधिक अपराध करने के लिए आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है या दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय में वर्णित अपराध करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, इससे सरकार को अधिनियम के तहत उसकी हिरासत की कार्यवाही में स्वतः रोक नहीं लगेगी।

दूसरा; यह तथ्य कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर देती है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाती है और यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करती है, तो जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ निवारक हिरासत के तहत आदेश जारी करने में कोई बाधा नहीं हो सकती है।

तीसरा; जहां संबंधित व्यक्ति वास्तव में उस समय जेल की हिरासत में है जब उसके खिलाफ हिरासत का आदेश पारित किया गया है और उचित समय के लिए रिहा होने की संभावना नहीं है, यह तर्क देना संभव हो सकता है कि इस ओर से कोई संतुष्टि नहीं हो सकती है हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों में शामिल होने की संभावना के बारे में बताना होगा जो राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालता है।

चौथा; केवल इस परिस्थिति से, कि अभियोजन के लंबित रहने के दौरान हिरासत का आदेश पारित किया जाता है, आदेश दुषित नही होगा।

पाँचवाँ; हिरासत का आदेश एक एहतियाती उपाय है. यह आसपास की परिस्थितियों के आलोक में किसी व्यक्ति के पिछले आचरण के आधार पर उसके भविष्य के व्यवहार के उचित पूर्वानुमान पर आधारित है।

उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, 1985 के अधिनियम संख्या 12 के तहत जारी किए गए हिरासत आदेश की वैधता का परीक्षण किया जा रहा है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया है।

8) अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सीबी गुरुराज ने एकमात्र तर्क उठाया कि सामान्य कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन 1985 के अधिनियम संख्या 12 के तहत उसे हिरासत में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाद, उन्होंने रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य 2 (2011) 5 एससीसी 244 में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर बहुत भरोसा जताया है। दूसरी ओर, राज्य की विद्वान वकील सुश्री अनिता शेनॉय ने हमें पूरी सामग्री, हिरासत में लिए गए लोगों की विभिन्न गतिविधियों और कई आदेशों से अवगत कराने के बाद तर्क दिया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा हिरासत के आदेश पर रोक लगाना पूरी तरह से उचित है और यह भी बताया कि उच्च न्यायालय का निर्णय बिल्कुल उचित है और अपील को खारिज करने की प्रार्थना की।

9) हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हिरासत आदेश के आधार और हिरासत प्राधिकारी द्वारा आधारित सभी सामग्रियों का अध्ययन किया है।

10) हिरासत आदेश में 11 मामलों में अपीलकर्ता-हिरासत की गतिविधियों और भागीदारी का उल्लेख है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है

"1. श्रीरामपुरा पीएस सीआर. क्रमांक 55/81 धारा 143, 147, 148, 149, 348, 307 आईपीसी के तहत इस मामले में फ़ाइल को समय बाधित होने के कारण नष्ट कर दिया गया है।

2. राजाजीनगर पीएस सीआर. क्रमांक 81/81 धारा 324 आर/डब्ल्यू धारा 34 आईपीसी के तहत इस मामले की फाइल भी कालबाधित के रूप में नष्ट कर दी गई है।

3. श्रीरामपुरा पीएस सीआर. संख्या 484/83 आईपीसी धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत इस मामले में, हिरासत में लिया गया व्यक्ति मुख्य आरोपी है। उसने अपने भाई किट्टी और अन्य सहयोगियों के साथ आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध किया। सुनवाई के बाद बंदी को दोषी पाया गया और उसे 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। हालाँकि, इस मामले के रिकॉर्ड समय बाधित होने के कारण नष्ट कर दिए गए हैं और प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

4. श्रीरामपुरम पीएस सीआर. क्रमांक 624/83 धारा 307 आईपीसी के तहत - यह रिकार्ड भी कालबाधित होने के कारण नष्ट कर दिया गया है।

5. विक्टोरिया अस्पताल पीएस सीआर संख्या 75/87 धारा 350, 352 और 506 (बी) आईपीसी -बंदी की सजा के बाद नंबर 484/83, उन्हें इलाज के लिए बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। 19.12.1987 को सुबह लगभग 11.30 बजे, बंदी ने कैदी वार्ड से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके अनुरक्षण के लिए तैनात अधिकारी ने उसे रोक लिया। बंदी हिंसक हो गया और एस्कॉर्ट को धमकी देते हुए कहा कि वह उसे 3 दिनों में मार डालेगा। इसके बाद जांच के बाद सीसी संख्या 869/88 में आरोप पत्र दाखिल किया गया. चूंकि बंदी फरार था, इसलिए उसे यूटीपी नंबर 2896 में न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। मामला विचाराधीन है।

6 और 7. श्रीरामपुरा पीएस सीआर संख्या 215/87, धारा 302 के तहत 220/89, 143, 144, 148, 324, 302 के साथ 109 आईपीसी- इन दोनों केस फाइलों को समय बाधित के रूप में नष्ट कर दिया गया है। हालाँकि, राउडी

शीट के अनुसार 10.06.1987 को 3 री एसीएमएम कोर्ट, बैंगलोर सिटी में एक आरोप पत्र दायर किया गया था और इसे सीआर में मुकदमे के लिए सीसी नंबर 3738/87 में फाइल पर लिया गया था।

8. श्रीरामपुरा पीएस सीआर. क्रमांक 198/03 धारा 384 आईपीसी के तहत- 05.08.2003 को, सुबह लगभग 6.00 बजे बंदी और उसके सहयोगी रवि ने वेंकटेश नाम के एक व्यक्ति से गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए और यह दावा करते हुए कि वे राजाजीनगर और श्रीरामपुरम के उपद्रवी हैं, 200/- रुपये की उगाही की। उन्हें 06.08.2003 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालाँकि, यह मामला बरी होने के साथ समाप्त हुआ क्योंकि गवाहों ने डर के कारण उनके खिलाफ अदालत में ठीक से गवाही नहीं दी।

9. हाई ग्राउंड्स पीएस सीआर संख्या 341/04 धारा 302 आईपीसी के तहत इस मामले में उपद्रवी राजेंद्र उर्फ बेकिना कन्नू राजेंद्र के साथ पूर्व प्रतिद्वंद्विता के कारण, और यह भी सोचते हुए कि राजेंद्र अपने छोटे भाई कृष्णा उर्फ किटी की मौत के लिए जिम्मेदार था, सार्वजनिक दृश्य में उसका

पीछा किया और हमला किया। लोंगों, खंजर और अन्य हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। उन्हें 09.11.2004 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला बरी होने के साथ समाप्त हुआ क्योंकि गवाहों ने डर के कारण उसके खिलाफ ठीक से गवाही नहीं दी थी।

10. येलहंका न्यू टाउन पीएस सीआर क्रमांक 186/09 धारा 143, 147, 148, 120(बी), 307, 302 आई पी सी- इस मामले में भी, रवि / बुलेट रवि, सीना, वासु और बंदी के बीच दुश्मनी है। पिछली घटनाओं से नाराज होकर, बंदी ने रवि राज उर्फ बुलेट राज, सीना और वासु पर दरांती से हमला कर उनकी जान ले ली। सीना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि रवि और वासु की अस्पताल में मौत हो गई। बंदी को 28.08.2009 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें 18.11.2009 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस संबंध में एससी संख्या 120/10 में एक मामला विचाराधीन है।

11. सुब्रमण्यनगर पीएस सीआर संख्या 32/10 आईपीसी की धारा 307, 353, 399, 402 और शस्त्र अधिनियम की धारा

3 और 25 के तहत 06.02.1020 को शाम 6.15 बजे, बंदी और उसके साथियों ने अपने प्रतिद्वंद्वी उपद्रवी ब्रेक जग्गा की हत्या की साजिश रची और इंतजार कर रहे थे। हथियारों से लैस मामला. यह सूचना मिलने पर श्री एमआर मुदवी, पीआई, सीसीबी बैंगलोर सिटी ने पुलिस निरीक्षकों और कर्मचारियों के साथ छापेमारी की और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। हालाँकि, उनमें से कुछ भागने में सफल रहे। बंदी फरार रहा और गिरफ्तारी से बचता रहा। बाद में उन्हें 24.03.2010 को 14 वीं एफटीसी, बैंगलोर की अदालत से जमानत मिल गई। उनके खिलाफ 17.04.2010 को आरोप पत्र दायर किया गया था जिसे सीसी नंबर 17160/10 में फाइल पर लिया गया था। मामले की सुनवाई लंबित है।"

11) जैसा कि राज्य की विद्वान वकील सुश्री अनिता शेनॉय ने बताया है, हिरासत आदेश में दिए गए अभिलेखों और उपरोक्त सभी विवरणों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता-हिरासत ने आपराधिक क्षेत्र में अपना करियर तब शुरू किया जब वह 30 वर्ष का था और अब लगभग 60 साल का है। शुरुआत में वह कुख्यात उपद्रवी जयराज और कोरंगु कृष्णा का अनुयायी था। बाद में, उसने अपना खुद का गिरोह बनाया जिसमें उसका छोटा भाई कृष्णा उर्फ किट्टी और अन्य लोग

शामिल थे। कृष्णा उर्फ किट्टी की मृत्यु 1996 के दौरान राजाजीनगर पीएस अपराध संख्या 125/1996 में आईपीसी की धारा 141, 143, 147, 148, 302 के साथ पठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस मुठभेड़ में हुई। रिकॉर्ड यह भी दर्शाते हैं कि बंदी के लगभग 28 सहयोगी उसकी आपराधिक गतिविधियों में सहायता कर रहे हैं और उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं। बंदी को मानव जीवन की कोई परवाह नहीं है। उनके खिलाफ दर्ज मामले हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा, हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जनता को भड़काना, भूमि विवादों को निपटाने के दौरान जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने आदि से संबंधित थे। हालांकि उन्हें 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। , जिसने उसे अपनी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने से नहीं रोका है। दरअसल, वर्ष 1981 से लेकर 2010 तक उसने योजनाबद्ध तरीके से इन आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है।

12) उपरोक्त सभी विवरण जो हिरासत आदेश में सही ढंग से बताए गए हैं, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता कानून के सामान्य अनुक्रम के लिए उत्तरदायी नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि विभिन्न अवसरों पर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद भी, वह फिर से उसी प्रकार के अपराधों में शामिल होना शुरू कर दिया, विशेष रूप से, सार्वजनिक जीवन को धमकी देना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि। इन सभी पहलुओं पर हिरासत प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक विचार

किया गया है। और यह पाए जाने के बाद कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, चूंकि उनकी गतिविधियां जनता के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हैं, नुकसान और खतरा पैदा करती हैं, हिरासत प्राधिकारी ने उन्हें 1985 के कर्नाटक अधिनियम संख्या 12 के तहत 12 महीने की अवधि के लिए गुंडा के रूप में हिरासत में लिया और इसे सलाहकार बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से अनुमोदित किया गया था। चूँकि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर ध्यान दिया है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में दिए गए सभी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया है, हम हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के निर्णय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा प्राधिकरण का आदेश पुष्ट किया गया है, को पुष्ट करते है।

13) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने रेखा वाले मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर ध्यान आकर्षित किया है। उपरोक्त मामले में, तमिलनाडु बूटलेगर्स, ड्रग अपराधियों, वन अपराधियों, गुंडों, अनैतिक तस्करी अपराधियों, रेत अपराधियों, स्लम-ग्रैबर्स और वीडियो समुद्री डाकू अधिनियम की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम के तहत रामकृष्णन के विरूद्ध हिरासत आदेश दिनांक 08.04.2010 के तहत यह आरोप है कि वह एक्सपायर्ड दवाओं को लेबल के साथ छेड़छाड़ करके बेच रहे थे और नए लेबल छापकर उन्हें गैर-एक्सपायरी दवाओं के रूप में दिखा रहे थे, उनकी पत्नी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर

की। उक्त रिट याचिका 23.12.2010 को खारिज कर दी गई। इसलिए, बंदी की पत्नी ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क किया। उसी फैसले में, इस न्यायालय ने तमिलनाडु अधिनियम, 1982 के तहत हिरासत आदेश और उसे हिरासत में लेने के आधार को निकाला है। आधार बताते हैं कि समाप्त हो चुकी दवाओं को बेचने से संबंधित एक घटना का संदर्भ है और हिरासत प्राधिकरण को आवश्यक बताते हुए उसके रिश्तेदारों द्वारा उसे जमानत पर बाहर निकालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और चूंकि इसी तरह के मामलों में, कुछ समय बीतने के बाद अदालतों द्वारा जमानत दी गई थी और यदि वह जमानत पर बाहर आता है, तो वह आगे की गतिविधियों में शामिल होगा जो कि प्रतिकूल होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए रखने और सामान्य आपराधिक कानून का सहारा लेने से उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से प्रभावी ढंग से रोकने का वांछित प्रभाव नहीं होगा, रखी गई सामग्रियों पर और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने तमिलनाडु अधिनियम, 1982 के तहत एक आदेश पारित किया है। पैरा 7 में, बेंच ने बताया है कि हिरासत के आधार में, कथित समान मामलों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है जिसमें संबंधित अदालत द्वारा कथित तौर पर जमानत दी गई थी। उसमें निकाले गए आधार भी किसी और विवरण से रहित हैं। उन परिस्थितियों में, यह न्यायालय विभिन्न पूर्व निर्णयों पर ध्यान देते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा

कि सामान्य कानून का सामान्य सहारा पर्याप्त होगा और विशेष अधिनियम को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

14) मौजूदा मामले में, हमने पहले ही 30 साल की उम्र से शुरू होने वाली आपराधिकता व आपराधिक गतिविधियों और हिरासत के आधार में उल्लिखित ग्यारह मामलों से संबंधित विवरण निकाल लिया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है और नौ साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें दो मामलों में बरी कर दिया गया था और उनके खिलाफ चार मामले लंबित हैं जिनमें उन्हें अदालतों से जमानत मिल गई थी। यह हिरासत प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि है कि सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए खतरा पैदा करने वाली उनकी लगातार गतिविधियों के बावजूद, उन्हें एक के बाद एक जमानत मिल रही थी और वे उन्हीं गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में, प्रासंगिक सामग्रियों के आधार पर और खुद को संतुष्ट करते हुए, कि सामान्य प्रक्रिया का सहारा लेकर आपराधिक गतिविधियों को जारी रखने की उसकी आदत को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा, हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने अधिनियम संख्या 12 के तहत उसे हिरासत में लेने का आदेश पारित किया। हिरासत के आधार पर उपलब्ध विशाल सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त रेखा वाले मामले में ऐसी आदत का हवाला नहीं दिया गया है, हम संतुष्ट हैं कि उक्त निर्णय मौजूदा मामले

के संदर्भ में तथ्यों पर अलग है। और उस पर आधारित तर्क खारिज किया जा सकता है।

15) हालांकि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आपत्ति नहीं उठाई है यानी उनके अभ्यावेदन के निपटाने में देरी हुई है क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष यही एकमात्र विवाद था, हम उसकी व्याख्या करना उचित समझते है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हिरासत आदेश 22.09.2010 को बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा पारित किया गया था। उक्त आदेश को सरकार द्वारा 30.09.2010 को अनुमोदित किया गया था और मामला 08.10.2010 को सलाहकार बोर्ड को भेजा गया था और बोर्ड 04.11.2010 को बैठा था। सरकार को सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट 10.11.2010 को प्राप्त हुई। 12 महीने की अवधि के लिए बंदी को हिरासत में रखने की पुष्टि 16.11.2010 को जारी की गई थी। केन्द्रीय कारागार के माध्यम से बंदी का अभ्यावेदन दिनांक 06.10.2010 अर्थात शासन द्वारा स्थायीकरण आदेश पारित होने से पूर्व भेजा गया था। यह न्यायालय केएम अब्दुल्ला कुन्ही और बीएल अब्दुल खादर बनाम भारत संघ और अन्य और कर्नाटक राज्य एवं अन्य.3 (1991) 1 एससीसी 476 (सीबी) ने स्पष्ट रूप से माना है कि हिरासत आदेश की पुष्टि के आदेश से पहले हिरासत में लिए गए अभ्यावेदन पर विचार करना प्राधिकारी का कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। अनुच्छेद 22 के खंड (5) के तहत कोई संवैधानिक आदेश नहीं है, हिरासत के आदेश की पुष्टि करने से पहले प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए

कोई वैधानिक आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, सक्षम प्राधिकारी पुष्टि के आदेश के बाद ही अभ्यावेदन पर विचार कर सकता है और इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क जैसे कि विचार में देरी हुई थी, निराधार है और खारिज किए जाने योग्य है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता के वकील ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई।

16) आईपीसी के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले बंदी की निरंतर गतिविधियों, हत्या के प्रयास, डकैती जैसे अपराधों को करने में निरंतर और अभ्यस्तता को ध्यान में रखते हुए हिरासत के आधार पर तथ्यात्मक विवरण, विभिन्न सामग्रियों के माध्यम से जाने पर, दंगा करना, हमला करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जनता को भड़काना, जनता के सदस्यों की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करना, भूमि विवाद निपटाने के दौरान जबरन वसूली करना, अवैध हथियार रखना और इस तथ्य का भी कि सभी प्रक्रियाओं और वैधानिक सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन किया गया है। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा, प्रस्तुत किये गये कारण तथा सरकार द्वारा अनुमोदित और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए हिरासत प्राधिकारी के तर्क से सहमत हैं।

17) इन परिस्थितियों में, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती। परिणामस्वरूप, उसे खारिज किया जाता है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश शर्मा-प्रथम (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंगेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।